न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 87/2023 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/178
दायर दिनांक :– 06.07.2023 निर्णय दिनांक :– 22.12.2024

वादीगण बनाम **प्रतिवादीगण**

01. दमूकंवर पत्नी उम्मेदसिंह
जाति राजपूत निवासी मा. सिड
02. पुष्पाकंवर पत्नी हीरसिंह
03. सुरेन्द्रसिंह चौहान पुत्र लक्ष्मणसिंह चौहान
04 महेन्द्रसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
05. रामकंवर पत्नी किशनसिंह
06. सुमेरसिंह पुत्र नखतसिंह
जाति राजपूत निवासी मा. सिड
07. मगू कंवर पत्नी भंवरसिंह
जाति राजपूत निवासी मनचितिया
08. पताशकंवर पत्नी मूलसिंह
जाति राजपूत निवासी बावड़ी बरसिंगा
तहसील बाप जिला जोधपुर

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये
श्रीमान तहसीलदार, बाप
02. उम्मेदसिंह पुत्र मोणसिंह
जाति राजपूत
नि. मालमसिंह की सिड
03. फूलसिंह पुत्र बुलीदानसिंह
जाति राजपूत नि. गुड़ा
तह. बाप जिला जोधपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः– 1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी
2. श्री मोहम्मद रफीक अधिवकता प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 की और से
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.) सत्यमेव जयते

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आशय से पेश किया कि वादीगण की खरीदसुदा खातेदारी अधिकारों काश्त भूमि खेत खसरा नम्बर 686/2882 रकबा 1.1331 हैक्टेयर किस्म बी–3 सरहद मौजा बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप जिला जोधपुर में स्थित है। उक्त भूमि में को वाद में आगे वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। जमाबंदी संवत 2078–2081 संलग्न वाद पेश है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 686/2882 रकबा 1.1331 हैक्टेयर में से प्रतिवादीगण सं. 2 ता 3 से 58/700 हिस्सा वादिनी सं. 1 ने, 24/700 वादिनी सं. 2 ने, 12/700 हिस्सा वादी सं. 3 ने, 12/700 हिस्सा वादी सं. 4 ने, 24/700 हिस्सा वादिनी 5 ने, 23/700 हिस्सा वादी सं. 6 ने, 1/30 हिस्सा वादिनी सं. 7 ने तथा 1/30 हिस्सा वादिनी सं. 8 ने जरिये पंजीबद्ध विकय पत्र के कय किया और मौके पर चल कर उसी दिन विकेता ने केतागण वादीगण को कब्जा भी सुपुर्द कर दिया था। यह सभी विकय पत्र अलग–अलग तारीख को पंजीबद्ध किये गये थे तथा वादीगण ने नियमानुसार कृषि भूमि की पूर्ण स्टाम्प ड्यूटी अदा कर ही उक्त कृषि भूमि खरीद की थी। पटवारी हल्का ने वादीगण के पक्ष में हुवे अलग–अलग विकय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण सं. 3760 मौजा बाप भरा जिसकी जांच भू–अभिलेख निरीक्षक बाप के द्वारा करने पर अंकन सही पाया लेकिन सरपंच ग्राम पंचायत, बाप ने सरासर गलत रूप से उक्त नामान्तरकरण सं.

22/12/24
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

3760 मौजा बाप को बिना अधिकार क्षेत्र के अस्वीकृत/खारिज कर दिया। जबकि उक्त भूमि कृषि भूमि है और कृषि भूमि की स्टाम्प ड्यूटी देकर ही वादीगण ने उक्त भूमि खरीद की है और मौके पर किसी भी प्रकार के कोई भूखण्ड नहीं है। उक्त भूमि मौके पर खाली है तथा गांव के चिपती है। उक्त भूमि गांव के चिपती होने के कारण सरपंच ग्राम बाप ने सरासर गलत रूप से खारिज कर दिया जो सरासर गलत है। इसलिये वादीगण ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 686/2882 रकबा 1.1331 हैक्टेयर में माफिक विक्रय पत्र अनुसार वादिनी सं. 1 अपने 58/700 हिस्सा, वादिनी सं. 2 अपने 24/700, वादी सं. 3 अपने 12/700 हिस्सा, वादी सं. 4 अपने 12/700 हिस्सा, वादिनी सं. 5 अपने 24/700 हिस्सा, वादी सं. 6 अपने 23/700 हिस्सा, वादिनी सं. 7 अपने 1/30 हिस्सा तथा वादिनी सं. 8 अपने 1/30 हिस्सा अनुसार अपने खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है जिसका यह दावा पेश है।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 की और से अधिवक्ता मोहम्मद रफीक ने वकालतनामा व इकबालिया जवाब पेश कर कथन किया कि वादी का वाद माफिक इस्तदुआ स्वीकार किया जावे। प्रतिवादी पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश कर बताया कि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को सुनवाई का अवसर देकर उक्त वाद का गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है तो कोई एतराज नहीं है। इससे राजहित प्रभावित नहीं होता है। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। अधिवक्ता वादीगण साक्ष्य नही करवाना चाहते है। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध इकबालिया जवाब दावा इत्यादि दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद मनन, अवलोकन एवं अध्ययन करने पर पाया गया कि विवादग्रस्त ग्राम बाप के खसरा नम्बर 686/2882 रकबा 1.1331 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 का 141/350 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 141/350 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादीगण को जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र के बेचान कर दिया था परन्तु वादीगण के नाम पंजीबद्व विक्रय पत्र अनुसार दर्ज नहीं किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने इकबालिया जवाब पेश कर माफिक पंजीबद्व विक्रय पत्र अनुसार वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया है। तहसीलदार बाप ने अपने जवाब में भी कथन किया है कि वादीगण के वाद का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने पर एतराज नहीं है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, इकबालिया जवाब दावा से वाद वादीगण साबित है। वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप के खसरा नम्बर 686/2882 रकबा 1.1331 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के स्थान पर माफिक विक्रय पत्र अनुसार वादिनी संख्या 1 को 58/700 हिस्सा, वादिनी संख्या 2 को 24/700 हिस्सा, वादी संख्या 3 को 12/700 हिस्सा, वादी संख्या 4 को 12/700 हिस्सा, वादिनी संख्या 5 को 24/700 हिस्सा, वादी संख्या 6 को 23/700 हिस्सा, वादिनी संख्या 7 को 1/30 हिस्सा तथा

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

आदिनी संख्या 8 को 1/30 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रतिष्टयां यथावत रहेगी। तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

वादीगण

01. दमूकंवर पत्नी उम्मेदसिंह
    जाति राजपूत निवासी मा. सिड
02. पुष्पाकंवर पत्नी हीरसिंह
03. सुरेन्द्रसिंह चौहान पुत्र लक्ष्मणसिंह चौहान
04 महेन्द्रसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
05. रामकंवर पत्नी किशनसिंह
06. सुमेरसिंह पुत्र नखतसिंह
    जाति राजपूत निवासी मा. सिड
07. मगू कंवर पत्नी भंवरसिंह
    जाति राजपूत निवासी मनचितिया
08. पताशकंवर पत्नी मूलसिंह
    जाति राजपूत निवासी बावड़ी बरसिंगा
    तहसील बाप जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

01. राज्य सरकार जरिये
    श्रीमान तहसीलदार, बाप
02. उम्मेदसिंह पुत्र मोणसिंह
    जाति राजपूत
    नि. मालमसिंह की सिड
03. फूलसिंह पुत्र बुलीदानसिंह
    जाति राजपूत नि. गुड़ा
    तह. बाप जिला जोधपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 87/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी एवं हाजिर राजेन्दसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व मोहम्मद रफीक मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप के खसरा नम्बर 686/2882 रकबा 1.1331 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के स्थान पर माफिक विक्रय पत्र अनुसार वादिनी संख्या 1 को 58/700 हिस्सा, वादिनी संख्या 2 को 24/700 हिस्सा, वादी संख्या 3 को 12/700 हिस्सा, वादी संख्या 4 को 12/700 हिस्सा, वादिनी संख्या 5 को 24/700 हिस्सा, वादी संख्या 6 को 23/700 हिस्सा, वादिनी संख्या 7 को 1/30 हिस्सा तथा वादिनी संख्या 8 को 1/30 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रतिष्टयां यथावत रहेगी। तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें।नीचे

मुतालिक — बाबत्

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर वसूल याबी तक — फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.12.2024 को जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेलR.A.S)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।